[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 53

[दि एंटी-हाईजैकिंग बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

यान-हरण निवारण विधेयक, 2014

वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेंशन को प्रभावी करने और उससे संबंधित विषयों के लिए

विधेयक

वायुयान के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेंशन पर 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और भारत, उक्त कन्वेंशन में सम्मिलित था तथा कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 को अधिनियमित किया था ; 1982 का 65

5 और भारत ने, कन्वेंशन का अनुपूरक नयाचार पर 10 सितबंर, 2010 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए हैं, जो सिविल विमानन के विरुद्ध नई प्रकार की धमकियों द्वारा विधिविरुद्ध कार्यों से संबंधित है, जिसके लिए उक्त अधिनियम में व्यापक संशोधन अपेक्षित हैं ;

और यह समीचीन समझा गया है कि वायुयान के अभिग्रहण के विधिविरुद्ध कार्य करना या

उस पर नियंत्रण करना, जिससे व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा संकटग्रस्त होना, अधिक चिंता का विषय है जिसका, कन्वेंशन और नयाचार को प्रभावी करने के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए उपयुक्त उपबंध करते हुए प्रभावी रूप से समाधान किया जाना है ;

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यान-हरण निवारण अधिनियम, 2014 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह उसके अधीन किसी ऐसे अपराध को भी लागू होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है ; 2008 का 34

(ख) "वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है, चाहे वह भारत में रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, जो सैनिक वायुयान अथवा सीमाशुल्क या पुलिस सेवा में प्रयुक्त वायुयान से भिन्न है ;

(ग) "भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो तत्समय भारत में रजिस्ट्रीकृत है ;

(घ) "कन्वेंशन देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें तत्समय हेग कन्वेंशन प्रवृत्त है ;

(ङ) "हेग कन्वेंशन" से वायुयानों के विधिविरुद्ध अभिग्रहण के दमन के लिए कन्वेंशन अभिप्रेत है जिस पर 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके अंतर्गत कन्वेंशन का अनुपूरक नयाचार भी है जिस पर 10 सितंबर, 2010 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे ;

(च) "सैनिक वायुयान" से किसी देश की नौसेना, थल सेना, वायुसेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों का वायुयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा वायुयान भी है, जो तत्समय ऐसे किसी बल के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा समादेशित है जिसे उस प्रयोजन के लिए लगाया गया है ।

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

यान-हरण और संबद्ध अपराध

यान-हरण ।

3. (1) जो कोई किसी सेवारत वायुयान का, विधिविरुद्धतया और साशय, बल या उसकी धमकी द्वारा या प्रपीड़न द्वारा या किसी अन्य प्रकार के अभित्रास द्वारा या किसी प्रौद्योगिक साधनों द्वारा अभिग्रहण करेगा या उस पर नियंत्रण करेगा वह, यान-हरण का अपराध करेगा ।

(2) किसी व्यक्ति के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट यान-हरण का अपराध किया है, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(क) ऐसे अपराध को करने के लिए धमकी देगा या किसी व्यक्ति को विधिविरुद्धतया और साशय, ऐसी परिस्थितियों में जो यह उपदर्शित करती हैं कि धमकी विश्वसनीय है, ऐसी धमकी प्राप्त करवाएगा ; या

(ख) ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसको करने का दुष्प्रेरण करेगा ; या

(ग) ऐसा अपराध या उक्त खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध करने के लिए अन्य व्यक्तियों को संगठित या निदेशित करेगा ; या

(घ) ऐसे अपराध या उक्त खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में सह अभियुक्त के रूप में भाग लेगा ; या

(ङ) किसी अन्य व्यक्ति की, यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध या उक्त खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराध किया है या ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा दांडिक अभियोजन के लिए वांछित है या ऐसे किसी अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया है, अन्वेषण, अभियोजन या दंड से बचने के लिए विधिविरुद्धतया और साशय सहायता करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, यान-हरण का भी अपराध करेगा, जब वह साशय, चाहे उपधारा (1) में या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों को वस्तुतः करता है या नहीं या उसका प्रयत्न करता है या नहीं, निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों को करेगा :—

(क) उपधारा (1) में या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध को करने में एक या अधिक व्यक्तियों की सहमति, जिसमें करार को अग्रसर करने में किसी एक भाग लेने वाले द्वारा किया गया कोई कार्य अंतर्वलित है ; या

(ख) उपधारा (1) में या उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को सामान्य प्रयोजन के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा करने का किसी रीति से योगदान और ऐसा योगदान या तो :

(i) सामान्य आपराधिक क्रियाकलाप को अग्रसर करने के उद्देश्य से या समूह के प्रयोजन से वहां किया गया हो जहां ऐसे क्रियाकलाप या प्रयोजन में ऐसे किसी अपराध का किया जाना अंतर्वलित है ; या

(ii) ऐसे अपराध का किया जाना समूह के आशय के ज्ञान में किया गया है ।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वायुयान को, किसी विनिर्दिष्ट उड़ान के लिए भूमि कार्मिकों द्वारा या कर्मीदल द्वारा वायुयान की उड़ान पूर्व तैयारी के आरंभ से, जब तक किसी वायुयान के उतरने के पश्चात् चौबीस घंटे न हों "सेवा में" होना समझा जाएगा और किसी वायुयान के विवश होकर उतरने की दशा में, उड़ान को जब तक जारी समझा जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उस वायुयान की और उस पर के व्यक्तियों तथा संपत्ति की जिम्मेदारी नही संभाल लेते हैं ।

यान-हरण के लिए दंड ।

4. जो कोई यान-हरण का अपराध करेगा, वह—

(क) जहां ऐसे अपराध से किसी बंधक व्यक्ति की या किसी सुरक्षा कार्मिक की मृत्यु होती है, वहां मृत्यु से दंडित किया जाएगा ; या

(ख) ऐसे आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा,

और ऐसे व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्ति अधिहृत किए जाने के लिए भी दायी होगी ।

यान-हरण से संबद्ध हिंसा के कार्यों के लिए दंड ।

5. जो कोई, ऐसा व्यक्ति होते हुए जो किसी वायुयान के हरण का अपराध कर रहा है, ऐसे अपराध के संबंध में, ऐसे वायुयान के किसी यात्री या कर्मी दल के सदस्य के प्रति हिंसा का कोई कार्य करता है, उसे वही दंड दिया जाएगा जिससे वह भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तब दंडनीय होता जब ऐसा कार्य भारत में किया जाता ।

अन्वेषण, आदि की शक्तियों का प्रदान किया जाना ।

6. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा, उक्त संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अभिकरण के किसी अधिकारी को, प्रदान कर सकेगी । 1974 का 2

(2) पुलिस के सभी अधिकारियों और सरकार के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सहायता करें ।

अधिकारिता ।

7. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां धारा 3 या धारा 5 के अधीन कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, वहां ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी बाबत वैसी ही कार्रवाई की जा सकेगी मानो ऐसा अपराध भारत में किसी ऐसे स्थान पर, जहां वह पाया जाए, किया गया है ।

(2) कोई भी न्यायालय धारा 3 या धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का, जो भारत के बाहर किया गया है, संज्ञान नहीं करेगा, जब तक कि—

(क) ऐसा अपराध भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर नहीं किया जाता है ;

(ख) ऐसा अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान के विरुद्ध या उस पर नहीं किया जाता है ;

(ग) ऐसा अपराध किसी ऐसे वायुयान पर नहीं किया जाता है और ऐसा वायुयान जिसमें ऐसा अपराध किया गया है, भारत में अभिकथित अपराधी के साथ उतरता है ;

(घ) ऐसा अपराध किसी ऐसे वायुयान के विरुद्ध या उस पर नहीं किया जाता है जो तत्समय ऐसे पट्टेदार को बिना कर्मीदल के पट्टे पर दिया गया है जिसका अपने कारबार का मुख्य स्थान, या जहां उसका ऐसा कोई कारबार का स्थान नहीं है वहां उसका स्थायी निवास-स्थान भारत में है ; अथवा

(ङ) ऐसा अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा या उसके विरुद्ध नहीं किया जाता है ;

(च) ऐसा अपराध किसी राज्यविहीन व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसका स्वाभाविक निवास भारत के राज्यक्षेत्र में है ;

(छ) ऐसा अपराध किसी अभिकथित अपराधी द्वारा नहीं किया जाता है जो भारत में उपस्थित है किंतु धारा 11 के अधीन प्रत्यर्पित नहीं किया गया है ।

अभिहित न्यायालय ।

8. (1) राज्य सरकार, शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के होते हुए भी, यथास्थिति, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अधीन या धारा 22 के अधीन गठित किया गया विशेष 2008 का 34

न्यायालय, ऐसे मामले में जहां गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रयोग की जाती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय होगा ।

1974 का 2 (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित न्यायालय, यथासाध्य, दिन प्रतिदिन के आधार पर विचारण करेगा ।

अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध ।

1974 का 2 **9.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 8 में निर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे ;

(ख) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का
1974 का 2 अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए जाने का संदेह है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वहां वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए और जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट,—

(i) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रीति से भेजा जाता है ; या

(ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व किसी समय,

यदि यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति का निरुद्ध रखना अपेक्षित नहीं है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को उस अभिहित न्यायालय को, जिसे अधिकारिता है, भेजने का आदेश करेगा ;

(ग) अभिहित न्यायालय, खंड (ख) के अधीन अपने पास भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो वह मजिस्ट्रेट, जिसे मामले के विचारण की
1974 का 2 अधिकारिता है, ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जो उस धारा के अधीन उसके पास भेजा गया है, प्रयोग करता ;

(घ) अभिहित न्यायालय, अभिकरण द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट या इस निमित्त प्राधिकृत यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए जाने के बिना कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी जिससे अभियुक्त उसी
1974 का 2 विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आरोपित किया जा सकता है, विचारण कर सकेगा ।

अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

1974 का 2 **10.** इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

प्रत्यर्पण के बारे में उपबंध ।

11. (1) धारा 3 और धारा 5 के अधीन अपराध प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित किए गए और उन सभी प्रत्यर्पण संधियों में उपबंधित किए गए समझे जाएंगे जो भारत द्वारा कन्वेंशन देशों के साथ की गई हैं और जिनका विस्तार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, भारत पर है और जो भारत पर आबद्धकर हैं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के लागू किए जाने 1962 का 34 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वायुयान के बारे में, जो किसी कन्वेंशन देश में रजिस्ट्रीकृत है, किसी भी समय जब वह वायुयान सेवारत है, यह समझा जाएगा कि वह उस देश की अधिकारिता के भीतर है चाहे वह तत्समय किसी अन्य देश की अधिकारिता के भीतर भी हो या न हो ।

(3) धारा 3 में उल्लिखित किसी भी अपराध पर, राजनीतिक अपराध के रूप में या किसी राजनीतिक अपराध से संबद्ध अपराध के रूप में या राजनीतिक हेतुकों द्वारा प्रेरित अपराध के रूप में प्रत्यर्पण या पारस्परिक विधिक सहायता के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और किसी ऐसे अपराध पर आधारित प्रत्यर्पण या पारस्परिक विधिक सहायता के लिए किसी अनुरोध को केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाएगा कि वह, राजनीतिक अपराध या किसी राजनीतिक अपराध से संबद्ध अपराध या राजनीतिक हेतुकों द्वारा प्रेरित अपराध से संबद्ध है ।

जमानत के बारे में उपबंध ।

12. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन 1974 का 2 दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ख) जहां लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है वहां, अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उससे, जब कि वह जमानत पर है, कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बन्धन के 1974 का 2 अतिरिक्त है ।

(3) इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत के 1974 का 2 बारे में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

कन्वेंशन के संविदाकारी पक्षकार ।

13. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह प्रमाणित कर सकेगी कि हेग कन्वेंशन के संविदाकारी पक्षकार कौन-कौन हैं और उन्होंने कन्वेंशन के उपबंधों का किस विस्तार तक उपयोग किया है और ऐसी कोई भी अधिसूचना उसमें प्रमाणित विषयों के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगी ।

कतिपय वायुयानों को कन्वेंशन देशों में रजिस्ट्रीकृत समझने की शक्ति ।

14. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी वायुयान के संबंध में उपधारा (2) की अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा वायुयान उस कन्वेंशन देश में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां कन्वेंशन देश, ऐसे संयुक्त वायु परिवहन संचालन संगठन या अंतरराष्ट्रीय संचालन अभिकरण स्थापित करते हैं, जो वायुयान संचालित करते हैं, जो संयुक्त या अंतरराष्ट्रीय

रजिस्ट्रीकरण के अधीन हैं, समुचित उपायों द्वारा प्रत्येक वायुयान के लिए स्वयं में से ऐसा देश अभिहित करेंगे जो अधिकारिता का प्रयोग करेगा और कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्री के देश की विशेषताएं रखेगा तथा अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के महासचिव को उसकी सूचना देगा जो सभी कन्वेंशन देशों को सूचना संसूचित करेगा ।

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना ।

15. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

धारा 3 और धारा 5 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा ।

16. धारा 3 या धारा 5 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि,-

(क) अभियुक्त के कब्जे में से कोई आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि इसी प्रकार के आयुध, गोलाबारूद या विस्फोटक ऐसे अपराध के किए जाने में उपयोग में लाए गए थे ; या

(ख) ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में कर्मीदल या यात्रियों पर बल के प्रयोग, बल की धमकी या किसी अन्य प्रकार का अभित्रास दिए जाने का साक्ष्य है,

तो अभिहित न्यायालय जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

17. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किए गए या किए जाने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध न होगी ।

संपत्ति अभिग्रहण या कुर्क करने की अन्वेषण अधिकारी की शक्ति ।

18. (1) जहां धारा 6 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को, कोई जांच या अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, जंगम या स्थावर या दोनों, ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित है जिसकी ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, किसी ऐसी रीति से छिपाई, अंतरित या निपटाई जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति के व्ययन में होगा वहां वह, ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करने के लिए कोई आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है वहां वह, यह निदेश करते हुए कुर्की का आदेश कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति को ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय अंतरित या अन्यथा निपटान नहीं करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति पर तामील की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने के अड़तालीस घंटे की अवधि के भीतर अभिहित न्यायालय के किसी आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।

(3) अभिहित न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिग्रहण या कुर्क करने के आदेश को या तो पुष्ट या उसको प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा आदेश के पुष्टिकरण के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किए गए कुर्की के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन आदेश के पुष्टिकरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश के प्रतिसंहरण के लिए अभिहित न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

संपत्ति का अधिहरण और समपहरण ।

19. जहां कोई आदेश, अभिहित न्यायालय द्वारा धारा 4 के अधीन अभियुक्त की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों के अधिहरण के लिए किया गया है, वहां ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार के पास समपहृत रहेगी :

परंतु अभिहित न्यायालय, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान यह आदेश कर सकेगा कि अभियुक्त की सभी या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति कुर्क हो और यदि ऐसे विचारण का अंत दोषसिद्धि में होता है तो इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार के पास समपहृत रहेगी ।

नियम बनाने की साधारण शक्ति ।

20. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

21. (1) यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1982 का 62

(2) उक्त अधिनियम का निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा--

(क) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन पूर्व प्रवर्तन, या सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई जिसके अंतर्गत कोई अधिसूचना, किया गया आदेश या जारी की गई सूचना या की गई कोई नियुक्ति, पुष्टिकरण या घोषणा या प्रदान किया गया कोई प्राधिकार या निष्पादित किया गया कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई ऐसा निदेश भी है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता ; या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड ; या

(घ) पूर्वोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, उसी प्रकार संस्थित, चालू या प्रवृत्त कराया जा सकेगा तथा ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड उसी प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया था ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यान-हरण की ऐसी घटनाओं से, जो अभी विगत में घटित हुई हैं, जिनमें 1999 में इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट संख्या आईसी-814 के यान-हरण और 11 सितबंर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई यान-हरण की घटना सम्मिलित है, सामूहिक विनाश करने के लिए प्रक्षेपणास्त्रों के रूप में सिविलियन वायुयानों का उपयोग किया जाना दर्शित हुआ है । तत्पश्चात्, अवैध समूहों या संगठनों द्वारा वायुयानों के विश्वव्यापी हरण के प्रयत्नों और धमकियों के कारण ऐसे संकटों से निपटने के लिए नए सिरे से और सभी संबद्धों की तैयारी की पूर्ण समीक्षा करने की आवश्यकता है । अतः ऐसे संकटों के समाधान के लिए विद्यमान रणनीतियों के सामर्थ्य और कमजोरियों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है ।

2. इसके अतिरिक्त, बीजिंग प्रोटोकोल, 2010 में, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, नए अपराध सामने आए, जिसमें यान-हरण की परिधि का विस्तार हुआ, अधिकारिता और प्रत्यर्पण तथा पारस्परिक सहायता क्षेत्र सुदृढ़ हुए और जिनसे यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) में व्यापक संशोधन अपेक्षित हुए हैं । विद्यमान विधि में, इन नई स्थितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त दंड हैं और जो अपराधियों के लिए पर्याप्त भयपरतिकारी नहीं है तथा, अतः अपराधियों और षडयंत्रकारियों द्वारा यान-हरण के सभी पहलुओं को सम्मिलित करना तथा ऐसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड प्रदान करते हुए विधि को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है । अतः, यान-हरण अधिनियम, 1982 को निरसित करते हुए एक नया विधान अधिनियमित करने की आवश्यकता महसूस हुई है ।

3. यान-हरण विधेयक, 2014, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए है,—

(क) यान-हरण की परिभाषा की परिधि का विस्तार करना ;

(ख) "सेवा में" पद को परिभाषित करना जिससे वायुयान के विरुद्ध अपराध को तब भी सम्मिलित किया जा सके जब वह भूमि पर है या प्रस्थान की तैयारी में है ;

(ग) ऐसे सभी अपराधियों को, जिनमें ऐसे यान-हरण करने वाले सम्मिलित हैं, जिनके कार्य यान-हरण का कार्य करते समय बंधक-व्यक्तियों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में परिणित होते हैं, मृत्यु दंड का उपबंध करना ;

(घ) अधिनियम के अधीन किए गए किन्हीं अपराधों के लिए यान-हरण करने वालों के अतिरिक्त षडयंत्रकारियों और अपहरणकर्ताओं को मृत्यु दंड का उपबंध करना जिससे यान-हरण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतर्वलित सभी व्यक्तियों को समान दंड दिलाया जा सके ;

(ङ) दंड के भागरूप में अपराधियों की जंगम और स्थावर संपत्ति के अधिहरण को सम्मिलित करना ;

(च) अधिकारिता और प्रत्यर्पण से संबंधित उपबंधों को व्यापक करना ;

(छ) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान करना तथा अपराधियों की संपत्तियों का अभिग्रहण और उनको कुर्क करना ;

(ज) यह उपबंध करना कि अधिनियम के अधीन सभी अपराध, केवल अभिहित न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

अशोक गजपति राजू पशुपति

नई दिल्ली ;
10 दिसबंर, 2014

वित्तीय ज्ञापन

खंड 6 का उपखंड (1), केन्द्रीय सरकार को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां, केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को प्रदान करने के लिए, सशक्त करता है । चूंकि विधेयक, सरकार के विद्यमान तंत्र का उपयोग करने और किसी नए पद का सृजन नहीं करने का प्रस्ताव करता है, अतः, आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अतिरिक्त व्यय परिकल्पित नहीं है ।

खंड 8 का उपखंड (1), राज्य सरकार को शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है । अतः इस प्रयोजन के लिए भी कोई अतिरिक्त व्यय परकल्पित नहीं है ।

क्योंकि, विधेयक में, सरकार के विद्यमान तंत्र और अभिहित न्यायालयों के रूप में विद्यमान न्यायालयों का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है, अतः, कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा । अतः विधेयक के उपबंध, यदि अधिनियमित और प्रवृत्त किए जाते हैं तो भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 20, केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

ऐसे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना, व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—3570RS(CRC)—11-12-2014.